Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, बिलासपुर को रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी. डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date : 22 -05-2021

Place : Raipur

Signature

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5—04/2021/10—2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/05/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण ,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय :— आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग बिलासपुर द्वारा रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. के वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू—प्रबंध/विद्युत/479—176/288, दिनांक 03.02.2021।

——00——

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :—

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** कार्यपालन अभियंता, अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, बिलासपुर द्वारा रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग किया गया है।	1 – 4
2	**प्रपत्र– I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** आवेदक विभाग के मांग अनुसार प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक–**FP/CG/TRANS/ 39462/2019** दिनांक 21.06.2019 को आबंटित किया गया है। प्रपत्र–1 में रजिस्ट्रेशन कमांक दर्ज किया गया है।	7– 14
3	**वनक्षेत्र का विवरण –** रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. (कुल लंबाई 3.551 कि.मी.) वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	15 एवं 19
4	**गैर वनक्षेत्र का विवरण –** वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित इस प्रकरण में 56.591 हे. गैर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।	18

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
5	**प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया की मूल टोपोशीट क्रमांक 64 ओ/1, 1:50,000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि पर ट्रांसमिशन लाईन को चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।	19
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैंप –** वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र /राजस्व वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैंप 1:15000 स्केल मानचित्र पर वन आवरण मानचित्रों 1:50000 में चिन्हित कर संलग्न किया गया है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रबंधन नक्शा वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।	20 – 27
7	**प्रपत्र –4 में प्रस्ताव –** रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल द्वारा जारी प्रपत्र–4 प्रस्ताव में संलग्न है जिसके अनुसार प्रकरण में आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. (कुल लंबाई 3.551 कि.मी.) वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	28 – 45
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु पारेषण लाईन निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. की मांग की गई है। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 28.59 करोड़ रूपये है। परियोजना का पृथक पृथक अनुलग्नक में लागत का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।	46 – 55
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में वन भूमि के बदले दुगुने वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु वचनवद्ध है, इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	56
10	**न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि रकबा 9.589 हे. की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम होने का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	57
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अवलोकन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना की प्रति संलग्न है जिसमें विद्युत पारेषण लाईन, पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली सूची में दर्ज नहीं है।	58 – 71

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) –** 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी. डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित रकबा 9.589 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 27 मीटर कारीडोर में कुल 1319 वृक्ष विद्यमान है। प्रस्ताव में फार्म I(a) एवं I(b) में कुल वृक्षों की संख्या एवं आयतन का विवरण दिया गया है तथा मार्किंग बुक की छाया प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विद्युत पारेषण लाईन के नीचे 3 X 3 मीटर कारीडोर में प्रभावित / विदोहन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या 287 है।	72 – 140
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** प्रकरण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।	141
14	**चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) –** प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण आवश्यक नहीं है।	142
15	**गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण आवश्यक नहीं है।	143
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** वन संरक्षण अधिनियम के गाईड लाईन अनुसार विद्युत पारेषण लाईन हेतु दुगुने बिगड़े वनभूमि रकबा 19.178 हे. में वृक्षारोपण योजना 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र रिपोर्ट सहित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	144–152
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** प्रकरण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि के बदले रायगढ़ जिले के रायगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1023 ओ.ए. 1029 ओ.ए, एवं 1021 ओ.ए. में रकबा 19.178 हे. वन क्षेत्र का चयन किया गया है। वन मंडलाधिकारी रायगढ़ के प्रमाण पत्र अनुसार उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।	153
18	**अधिनियम उल्लंघन अंर्तगत कार्यो का विवरण –** प्रभावित वन क्षेत्र में कोई भी कार्य प्रारंभ नही हुआ है, एवं उक्त प्रकरण में किसी भी अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। इस आशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	154
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** प्रकरण में प्रभावशील वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नही किया गया है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	155

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
20	**अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही–** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नही किया गया है। अतः अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	156
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1023 ओ.ए. 1029 ओ.ए, एवं 1021 ओ.ए. में रकबा 19.178 हे. में दुगुने बिगड़े वन भूमि का चयन किया गया है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।	157 एवं 159
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण केचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।	160
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।	161
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं हैं।	162
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	163
26	**वनाधिकारीयों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** प्रस्तावित 9.589 हे. वन भूमि के लिए वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ का प्रतिवेदन (प्रपत्र III एवं भाग 2) एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग–3) संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का वन घनत्व 0.4 तक है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 1319 वृक्ष विद्यमान है। दिनांक 17.04.2020 को भौतिक निरीक्षण के आधार पर वनमंडलाधिकारी रायगढ़ ने आवेदित क्षेत्र पर गैर वानिकी प्रयोजन में देने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर ने वनमंडलाधिकारी रायगढ़ के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए तथा आवेदित वन क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु योजना तैयार करने पर प्रस्ताव की अनुशंसा की है।	164–169
27	**ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र –** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग बिलासपुर द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत रायगढ़ परिक्षेत्र में 132 के.व्ही. पारेषण लाईन का निर्माण 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्डा तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक/पुरातात्विक महत्व के स्थल पर मूर्ति या चिन्ह का समावेश नहीं है।	171

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तावित परियोजना लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाईड लाईन दिनांक 05.02.2013, 15.01.2014 एवं 28.10.2014, अनुसार विद्युत पारेषण लाईन के लिए ग्राम सभा में छूट प्रदान की गई है।	172–176
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) –** रायगढ़ जिले की रायगढ़ वनमंडल में सम्मिलित आरक्षित, संरक्षित एवं आसीमांकित वन का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार वनमंडल में 152959.600 हे. वन भूमि है।	177
30	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य में रायगढ़ जिले की रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 57 एवं प्रत्यावर्तित वन रकबा 3381.001 हे. है। प्रकरणवार स्वीकृत प्रकरणों का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।	178–180
31	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे –** रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् इसी श्रेणी के 15 प्रकरण रकबा 254.131 हे. वन भूमि व्यपवर्तित हुआ है।	181
32	**प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग बिलासपुर द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत रायगढ़ परिक्षेत्र में 132 के.व्ही. पारेषण लाईन का निर्माण 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्डा तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी रायगढ़ का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	182
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेत प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	183
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.-11-9/1998-FC, दिनांक 03–08–2009 एवं दिनांक 05–02–2013 के अनुक्रम में प्रस्तावित पारेषण लाईन हेतु कलेक्टर रायगढ़ का प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2020 (मूल प्रति) में संलग्न है।	184–187
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित पारेषण लाईन में 7.399 हे. राजस्व वनभूमि भी प्रस्तावित है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2020 की प्रति संलग्न है।	188–195
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की दर जो भी वन विभाग तय करेगा वह राशि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग बिलासपुर जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	196 एवं 197

क्रमशः 6

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance** – वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित की जाती है तो वह राशि **CAMPA** निधि में तत्काल जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान के द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।	198
38	**"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it"** – आवेदित वनभूमि में मिश्रित प्रजाति के 1319 वृक्ष खड़े है। इस क्षेत्र के मिट्टी चिकनी, दोमट एवं बलुई है जिसमें ह्यूमस लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है।	199
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नही किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	200
40	**Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act** 1980 – प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	201
41	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/– एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 18,000/– कुल मूल्य 24000/– की राशि वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है ।	202–204
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** प्रस्तावित परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत आवश्यक नहीं है। ऐसा प्रस्ताव में लेख किया गया है।	205
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण** – प्रस्तावित प्रकरण में पारेषण लाईन हेतु एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने तथा पारेषण लाईन निर्माण हेतु तीन विकल्प मानचित्र में दर्शाया गया है तथा प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण दिया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र न्यूनतम होने के कारण चयनित की गई है।	206
44	**प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण –** प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित क्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिर्पोट संलग्न है।	166

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

क्रमशः 7

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

o/c

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/~~03~~ 05/2021

पृ.कमांक एफ–5–04/2021/10–2

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल छत्तीसगढ़ ।
4. आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

o/c

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग